

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र०/प०नि०/२०२६/२५३

दिनांक : १२/०३/२०२६

आदेश

प्रति,

प्राचार्य/केन्द्रध्यक्ष  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय  
जिला- मण्डला (म०प्र०)

विषय :- परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित है कि परीक्षा केन्द्र में छात्रों/वीक्षकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को मोबाईल फोन का उपयोग एवं संधारण पूर्णतः वर्जित है

अतः उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रति,

- (१) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग
- (२) कुलगुरु/कुलसचिव के निज सहायक
- (३) उपकुलसचिव/कुलसचिव के निज सहायक

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर